भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2267
दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण जोन

2267. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार का देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान सहित देश में वर्तमान में प्रचालित निगमित अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण जोन और इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' के दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन नामक योजना क्रियान्वित की है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना स्वयं नहीं करता है । परंतु प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत वर्तमान इकाइयों के उन्नयन अथवा नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए 35% की दर से अधिकतम 10.00 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है ।

मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) का भी कार्यान्वयन करता है ताकि खाद्य प्रसंस्करण परिरक्षण इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमों को वित्तीय सहायता देने सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संपूर्ण उन्नति तथा विकास किया जा सके ।

(ग): वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण , 2015-16 तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 73वें चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार देश में राजस्थान सहित लगभग 25 लाख अपंजीकृत/अनिगमित खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं। देश में अपंजीकृत/अनिगमित उद्यमों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध** में है ।

(घ): जी हां । पीएमएफएमई योजना सामान्य सेवाएं तथा उत्पादों का विपणन उपलब्ध कराने के संबंध में मापमान का लाभ प्राप्त करने हेतु एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाता है । परियोजनाओं के लिए ओडीओपी द्वारा मूल्य श्रृंखला विकास तथा सहायता अवसंरचना के संरेखन के लिए रूपरेखा प्रदान की जाती है ।

*****

अनुबंध

अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण जोन के संबंध में दिनांक 20.12.2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2267 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

देश में अपंजीकृत/अनिगमित उद्यमों की राज्य-वार संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्य एवं पेय का विनिर्माण करने वाले अनिगमित उद्यमों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	774
2	आंध्र प्रदेश	1,54,330
3	अरुणाचल प्रदेश	145
4	असम	65,997
5	बिहार	1,45,300
6	चंडीगढ़	656
7	छत्तीसगढ	26,957
8	दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव	758
9	दिल्ली	14,350
10	गोवा	2,929
11	गुजरात	94,066
12	हरियाणा	24,577
13	हिमाचल प्रदेश	21,885
14	जम्मू और कश्मीर	28,089
15	झारखंड	116536
16	कर्नाटक	127458
17	केरल	77,167
18	लद्दाख	-
19	लक्षद्वीप	127
20	मध्य प्रदेश	1,02,808
21	महाराष्ट्र	2,29,372
22	मणिपुर	6,038
23	मेघालय	3,268
24	मिजोरम	1,538
25	नागालैंड	3,642
26	ओडिशा	77,781
27	पुदुचेरी	3,482
28	पंजाब	63,626
29	राजस्थान	1,01,666
30	सिक्किम	101
31	तमिलनाडु	1,78,527
32	तेलंगाना	80,392
33	त्रिपुरा	13,998
34	उत्तर प्रदेश	3,50,883
35	उत्तराखंड	18,116
36	पश्चिम बंगाल	3,22,590
	कुल	**24,59,929**

स्रोत: वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016-17 तथा एनएसएसओ के 73वें चक्र का सर्वेक्षण (जुलाई 2015 – जून, 2016)